"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 जनवरी 2007—पौष 16, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2007

क्रमांक 332/डी-5/21-अ/प्रारुपण/06 .— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13-09-2006 को राज्यपाल महोदय की अनुमति एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिनांक 28-12-2006 को अनुमति प्राप्त हो चुकी है. एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 1 सन् 2007)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006

उच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के द्वारा पारित निर्णय या आदेश के विरुद्ध उसी उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ को अपील करने का उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ को अपील.

2. (1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील उसी उच्च न्यायालय की दो सदस्यों वाली खण्ड न्यायपीठ को होगी.

परन्तु किसी अन्तवर्ती आदेश के विरुद्ध या भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अधीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए पारित किये गये किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी.

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए आदेश की तारीख से 45 दिन के भीतर फाइल की जाएगी :

परन्तु कोई भी अपील 45 दिन के विहित काल के पश्चात् ग्रहण की जा सकेगी यदि याचिकाकर्ता खण्ड न्यायपीठ का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था.

स्पष्टीकरण :- यह तथ्य कि याचिकाकर्ता विहित काल का अभिनिश्चय या संगणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, पद्धति या निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया था, इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त हेतुक हो सकेगा.

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उच्च न्यायालय द्वारा यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार फाइल की जाएगी, सुनी जाएगी और विनिश्चित की जाएगी.

नियम बनाने की शक्ति.

3. (1) उच्च न्यायालय, इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं भी प्रयोजनों का क्रियान्वयन करने के लिए समय-समय पर नियम बना सकेगा.

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में धारा 2 की उपधारा (3) के अधीन अपील फाइल करने, उसकी सुनवाई करने और उसका निपटारा करने की प्रक्रिया का उपबंध किया जा सकेगा.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

4. (1) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) अधिनियम, 1981 (क्रमांक 29 सन् 1981) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन या उसके अनुसरण में की गई कोई बात या की गई कार्रवाई जो अंतिम रूप से की जा चुकी है, किसी भी न्यायालय में पुन: खोली नहीं जाएगी.

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2007

क्रमांक 332/डी-5/21-अ/प्रारुपण/06 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 (क्र. 1 सन् 2007) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 1 of 2007)

THE CHHATTISGARH HIGH COURT (APPEAL TO DIVISION BENCH) ACT, 2006

An Act to provide for an appeal from a judgment or order passed by one Judge of the High Court in exercise of the original jurisdiction, to a Division Bench of the same High Court.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty-seventh year of the republic of India as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may by called the Chhattisgarh High Court (Appeal to Division Bench) Act, 2006.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Appeal to the Division Bench of the High Court from a Judgment or order of one judge of the High Court made in exercise of original jurisdiction.

2. (1) An appeal shall lie from a judgment or order passed by one Judge of the High Court in exercise of original Jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India, to a Division Bench comprising of two Judges of the same High Court.

Provided that no such appeal shall lie against an interlocutory order or against an order passed in exercise of supervisory jurisdiction under Article 227 of the Constitution of India.

(2) An appeal under sub-section (1) shall be filed within 45 days from the date of order passed by a single Judge.

Provided that any appeal may be admitted after the prescribed period of 45 days, if the petitioner satisfies the Division Bench that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.

Explanation :- The fact that the petitioner was misled by any order, practice or judgment of the High Court in ascertaining or computing the prescribed period may by sufficient cause within the meaning of this sub-section.

(3) An appeal under sub-section (1) shall be filed, heard and decided in accordance with the procedure as may be prescribed by the High Court.

Power to make rules.

3. (1) The High Court may, from time to time, make rules for carrying out all or any of the purpose of the Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for the procedure of filing, hearing and disposal of appeal under sub-section (3) of section 2.

Repeal and Saving.

4. (1) The Chhattisgarh Uchcha Nyayalaya (Letter Patent Appeals Samapti) Adhiniyam, 1981 (No. 29 of 1981) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under or in pursuance of the said Act and which has attained finality shall not be reopened in any court of law.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2007.

